सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **245/2012** दायर दिनाँक **24.12.2012**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पिरागकँवर पुत्री ईश्वरसिंह पत्नी स्वर्गीय उगमसिंह, उम्र–58साल, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, हाल,निवासी–कीचक, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. धापकँवर पत्नी सांवतसिंह, 2. सायरकँवर पत्नी ईश्वरसिंह, 3. भोपालसिंह पुत्र भँवरसिंह, 4. भँवरसिंह पुत्र सोनसिंह, 5. भँवरसिंह पुत्र नाथूसिंह, 6. हनुमानसिंह पुत्र नाथूसिंह, 7. गोविन्दसिंह पुत्र नाथूसिंह, 8. देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह, 9. अजीतसिंह पुत्र फतेहसिंह, 10. अजीतसिंह पुत्र फतेहसिंह, 11. उम्मेदकँवर पत्नी फतेहसिंह, 12. भँवरसिंह पुत्र विजयसिंह, 13. गजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह, 14. रघुवीरसिंह पुत्र विजयसिंह, 15. तोपकँवर पत्नी विजयसिंह, 16. भँवरसिंह पुत्र कुशालसिंह, 17. उच्छबकँवर पत्नी कुशालसिंह, 18. दौलसिंह पुत्र सुजानसिंह उर्फ सजनसिंह, 19. इन्द्रसिंह पुत्र डालसिंह, 20. बजरंगसिंह पुत्र माधोसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. सरपंच, ग्रामपंचायत, मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. नायब तहसीलदार छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिलाझ–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–245 / 2012
दायर दिनाँक 24.12.2012 निर्णय दिनाँक 05.02.2018
पिरागकँवर बनाम् धापकँवर, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी।
2. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री कमल मोट, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद मामड़ोदा में खसरा नम्बर 193 रकबा 91.06 बीघा, खसरा नम्बर 244 रकबा 10.07 बीघा कुल रकबा 101.13 बीघा अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 04 का 1/4 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 19 का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 20 बजरंगसिंह व स्वर्गीय विजयसिंह के पुत्रों का 1/4 हिस्सा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल पेश है। उक्त भूमि में सम्वत् 2015–18 तक की खतौनी में स्वर्गीय रामकुवारसिंह पुत्र भूरसिंह का नाम दर्ज था, जिसकी नकल पेश है।

वादी के कोई जायन्दा भाई नहीं था इस कारण वादी ने अपने माता–पिता की सेवा की है। स्वर्गीय रामकुवारसिंह वादी के सगे काका थे जो अन्धे थे व शादी नहीं हुई थी। वादी की माता ने स्वर्गीय रामकुवारसिंह की सेवा जीवनपर्यन्त की थी। वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति में वादी की माता 1/4 हिस्से में से 2/3 हिस्सा पर काश्त करती आई है। वादी जब 1 से 1,1/2 माह की थी तब ही वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया था। वादी व वादी की माता द्वारा सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्वर्गीय रामकुवारसिंह ने दिनाँक 22.01.1974 को जरिये लिखित इकरार के अपना हिस्सा सुपूर्द कर दिया, तब से उक्त हिस्सा पर पिरागकँवर का आज दिन तक कब्जाकाश्त है। इकरारनामा की छायाप्रति पेश है।

प्रतिवादी धापकँवर बाल विधवा है जो अर्से–दराज से अपने पीहर जाखासर जिला चूरू में निवास करती है व ग्राम मामड़ोदा में रहवासी मकान नहीं है। वादग्रस्त भूमि में से 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा पर वर्तमान में वादी का कब्जा है। मगर वादी अपने ससुराल कीचक में भी रहती आई है जिसका नाजायज फायदा उठाकर 1/3 हिस्सा में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है। वादी के पति का स्वर्गवास वाद पेशगी से करीब 10 साल पहले हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में वादी का जायज हक व हिस्सा है जिससे वादी को घोषणा खातेदारी का दावा पेश करना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी धापकँवर द्वारा दिनाँक 16.12.2012 को वादी को वादग्रस्त भूमि के बैचाण कर एलानियाँ धमकी देने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना लाजमी आया है।

वाद केवल स्वर्गीय भूरसिंह के वारिशान् के मध्य है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 21 का नाम दर्ज होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है इनसे वादी को कोई सहायता नहीं चाहिए। दौलसिंह ने अपने हिस्से में से ग्राम पंचायत को भूमि दान में दी है इसलिए ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 16.12.2012 को धापकँवर द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण कर देने से पैदा हुआ व हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 91.06 बीघा, खसरा नम्बर 244 रकबा 10.07 बीघा, कुल रकबा 101.13 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा स्वर्गीय भूरसिंह के वारिश रामकुवारसिंह का 1/3 हिस्सा में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के साथ वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी धापकँवर के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। तहसीलदार डीडवाना व नायब तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बैचाण प्रतिवादी धापकँवर द्वारा प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन न करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02, 05 ता 19 व 21 ता 23 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02 व 20 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। अन्य प्रतिवादीगण का जवाब पेश नहीं होने से जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम मामड़ोदा सम्वत् 2067–2070 खेवट संख्या 91/91 खसरा नम्बर 193 व 244 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम मामड़ोदा सम्वत् 2015–2018 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा पत्रक ग्राम मामड़ोदा सम्वत् 15 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वकील वादी ने निवेदन किया कि, रामकुँवार सिंह पुत्र भूरसिंह नाऔलाद फौत हो गये। स्वर्गीय रामकुँवार की सेवा–चाकरी वादी व वादी की माता ने की है इस सम्बन्ध में एक लिखित दस्तावेज स्वर्गीय रामकुँवार ने वादी के हक में निष्पादित किया है। विद्वान वकील वादी दावा अनुसार दावा डिक्री चाहते है। विद्वान वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि, वादी ने कूट रचित दस्तावेजात् तैयार कर इकरारनामा दिनाँक 22.01.1974 के जरिये प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

01 की जमीन हड़प करना चाहती है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय भूरसिंह के वंशज हैं, अतः पैतृक सम्पत्ति में 1/4 – 1/4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में आता है, अतः वाद वादी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

बहस के दौरान रखे गये वकुलाय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन् करने तथा पत्रावली में रिकॉर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मामड़ोदा के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 91.06 बीघा व खसरा नम्बर 244 रकबा 10.07 बीघा, कुल रकबा 101 बीघा 13 बिस्वा, का हिस्सा 1/4 भाग भूमि में से 1/3 हिस्सा वादिनी को स्वर्गीय रामकुँवारसिंह के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/3 भाग पर प्रतिवादी धाप कंवर व 1/3 भाग पर प्रतिवादी सायर कंवर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सायर कंवर का स्वर्गवास होने पर वादिनी, सायर कंवर के हिस्से की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **245/2012** दायर दिनाँक **24.12.2012**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. पिरागकँवर पुत्री ईश्वरसिंह पत्नी स्वर्गीय उगमसिंह, उम्र–58साल, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, हाल,निवासी–कीचक, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. धापकँवर पत्नी सांवतसिंह, 2. सायरकँवर पत्नी ईश्वरसिंह, 3. भोपालसिंह पुत्र भँवरसिंह, 4. भँवरसिंह पुत्र सोनसिंह, 5. भँवरसिंह पुत्र नाथूसिंह, 6. हनुमानसिंह पुत्र नाथूसिंह, 7. गोविन्दसिंह पुत्र नाथूसिंह, 8. देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह, 9. अजीतसिंह पुत्र फतेहसिंह, 10. अजीतसिंह पुत्र फतेहसिंह, 11. उम्मेदकँवर पत्नी फतेहसिंह, 12. भँवरसिंह पुत्र विजयसिंह, 13. गजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह, 14. रघुवीरसिंह पुत्र विजयसिंह, 15. तोपकँवर पत्नी विजयसिंह, 16. भँवरसिंह पुत्र कुशालसिंह, 17. उच्छबकँवर पत्नी कुशालसिंह, 18. दौलसिंह पुत्र सुजानसिंह उर्फ सजनसिंह, 19. इन्द्रसिंह पुत्र डालसिंह, 20. बजरंगसिंह पुत्र माधोसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. सरपंच, ग्रामपंचायत, मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. नायब तहसीलदार छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिलाझ–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 05.02.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी व श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से व श्री कमल मोट, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 ओर से ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मामड़ोदा के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 91.06 बीघा व खसरा नम्बर 244 रकबा 10.07 बीघा, कुल रकबा 101 बीघा 13 बिस्वा, का हिस्सा 1/4 भाग भूमि में से 1/3 हिस्सा वादिनी को स्वर्गीय रामकुँवारसिंह के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/3 भाग पर प्रतिवादी धाप कंवर व 1/3 भाग पर प्रतिवादी सायर कंवर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सायर कंवर का स्वर्गवास होने पर वादिनी, सायर कंवर के हिस्से की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.02.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner